अध्याय 7

आर्थिक घटनाक्रम

इस अध्याय में आप सीखेंगे किः

➤ भारत के आर्थिक क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्र की प्रगति और उसके लिए किये जा रहे सुधार और कार्य के बारे में जानेगें, जिनमें प्रमुख हैं–जनरल एंटी एवाएडेन्स रूल, कर्मचारी भविष्य निधि मण्डल, निवेश सुविधा तंत्र, एल्युमीनियम पार्क।

जनरल एंटी एवाएडेन्स रूल (GAAR)

गार क्या है?

गार कर अपवंचन (Tax Evasion) और काले धन को रोकने हेतु बनाया गया एक प्रकार का नियम है, जिसके पीछे सरकार का एक ही लक्ष्य है, जो भी विदेशी कंपनी भारत में निवेश करे, वह यहाँ पर तय नियमों के अनुसार कर भुगतान करें न कि कर चोरी के उद्देश्य से भारत में निवेश करे। अर्थात् कंपनियों को कर अपवंचन के लिये गलत तथा गैर–कानूनी तरीके अपनाने के प्रति हतोत्साहित करने वाले नियम ही 'गार' है।

प्रमुख उद्देश्य

- गार का मुख्य उद्देश्य उन सौदों या आय को कर के दायरे में लाना है, जिनको केवल करों के भुगतान से बचने के लिये सृजित किया गया है।
- कर चोरी को रोक कर सरकारी राजस्व में वृद्धि करना।
- देश की कराधन प्रणाली (Taxation System) की खामियाँ दूर करना तथा कर चोरी करने वालों का पता लगाना।
- गार नियमों को लाने का उद्देश्य विदेशी निवेशकों को ऐसे रास्ते अपनाने से रोकना है, जिनका मुख्य ध्येय केवल कर लाभ प्राप्त करना हो।

लागू

गार 1 अप्रैल, 2017 से लागू हो जाएगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

गार का प्रस्ताव सबसे पहले 2012–13 में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने अपने बजट भाषण में किया था ताकि निवेश के स्वरूप को बदलकर कर अपवंचन करने वालों पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन विदेशी निवेश में कमी की आशंकाओं के चलते गार के क्रियान्वयन को टाला जा रहा था। पहले इसे 1 अप्रैल, 2014 से लागू करने का प्रस्ताव था। अब यह 1 अप्रैल, 2017 से लागू होगा, जिसका आंकलन वर्ष 2018–19 के वित्तीय वर्ष में होगा।

ध्यातव्य हो कि

GAAR, CBDT (Central Board of Direct Tax) की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है।

कर्मचारी भविष्य निधि मण्डल (Employee's Provident Fund Organisation–EPFO)

- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नियोक्ताओं (जॉब देने वालो) से भविष्य निधि की देय राशि एकत्र करने और इसके ग्राहकों को भुगतान करने के उद्देश्य से 4 निजी एवं 1 सरकारी बैंक के साथ करार किया है।

- ये बैंक हैं—ICICI, HDFC, AXIS Bank और Kotak Mahindra Bank (सभी निजी क्षेत्र) तथा बैंक ऑफ बड़ोदा (सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक)

करार से लाभ

- पहली बार EPFO ने किसी निजी बैंको के साथ संबंध स्थापित किये है। इससे पहले EPFO केवल सरकारी बैंको की सेवाओं का उपयोग कर रहा था। यही कारण था कि निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं के सार्वजनिक बैंक में खाता-खोलना अप्रत्यक्ष रूप से अनिवार्य था।
- ये पांचों बैंक शून्य लेन-देन शुल्क पर नियोक्ता के खाते से राशि का हस्तान्तरण EPFO को करेगे। इससे पूर्व बैंक इस सुविध के लिए शुल्क वसूलते थे। इस नई व्यवस्था से EPFO प्रतिवर्ष लगभग 125 करोड़ रूपये बचा सकेगा।

ध्यातव्य हो कि

EPFO इससे पूर्व 5 अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ करार कर चुकी है। 1. SBI, 2. PNB, 3. Allahabad Bank, 4. Indian Bank, 5. UBI.

यहाँ दो शब्दों का ज्ञान होना भी अनिवार्य है:

1. EPFO (Employee Provident Fund)
2. EPF (Employee Provident Fund Organisation)

EPF

- यह एक सेवानिवृत्ति लाभ है, जो वेतन भोगी कर्मचारियों (निजी क्षेत्र) को ही प्राप्त है।
- यह एक ऐसा फंड है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता प्रत्येक माह मूल वेतन राशि के एक निर्धारित अंश का योगदान करते है। यह अंश सरकार द्वारा पहले से ही निर्धारित होता है।
- वर्तमान में EPF से राशि की निकासी कर मुक्त है, यदि कर्मचारी ने निरंतर 5 वर्ष तक सेवा पूरी कर ली है।
- 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनी को कानून के अनुसार EPF के साथ पंजीकृत होना होता है।

EPFO

- यह केन्द्र सरकार का एक सांविधिक निकाय है जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
- यह संगठन कर्मचारी भविष्य निधि योजना (1952), कर्मचारी जमा बीमा योजना (1976) और कर्मचारी पेंशन योजना (1995) का संचालन करता है।
- यह संगठन, पारस्परिक आधार पर अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौता को लागू करने की नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करता है।

ध्यातव्य हो कि

EPFO करीब **12 लाख करोड़ रूपये** का एक कोष का प्रबन्धन करता है जिसमें इसके **4.5 करोड़ सदस्य** योगदान देते हैं। इसे प्रतिवर्ष लगभग **75 हजार करोड़ रूपये** प्राप्त होते हैं।

- EPFO के तहत सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था केन्द्रीय न्यास बोर्ड है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

निवेश सुविधा तंत्र (Investment Facilitation Machanism-IFM)

घोषण तिथि: 14 जुलाई, 2017

समझौता: भारत व यूरोपीय संघ के मध्य

उद्देश्य

यूरोपीय संघ द्वारा भारत में निवेश को प्रोत्साहन देने, निवेश को सुविधाजनक बनाने और भारत सरकार एवं यूरोपीय संघ के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से 'निवेश सुविधा तंत्र' (आईएफएम) की स्थापना की जा रही है।

लाभ

IFM की स्थापना से भारतीय अर्थव्यवस्था को होने वाले लाभ:-

- भारत के मेक इन इंडिया अभियान के उद्देश्यों को हासिल करने में IFM की स्थापना महत्वपूर्ण कदम है।
- IFM, Easy Boing Business Index में भारत की स्थिति को सुधरने में सहायक सिद्ध होगा।
- IFM भारत व यूरोपीय संघ की निवेशक कंपनियों को विचार-विमर्श हेतु मंच भी उपलब्ध करायेगी।
- IFM में यूरोपीय संघ के निवेशकों तथा कंपनियों को स्थापित करने अथवा उनके कार्यसंचालन में आने वाली प्रक्रिया संबंधी जटिलताओं के समाधान निकालने के उपायों की तलाश किये जाने का भी प्रावधान है। इसलिये IFM 'सिंगल विंडो सिस्टम' के रूप में कार्य करेगी।

महत्वपूर्ण तथ्य

- वर्तमान में भारत में यूरोपीय संघ की 6 हजार से ज्यादा कंपनियाँ है, जो 60 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान कर रही है।
- यूरोपीय संघ भारत में सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में से एक है।

विनिवेश (Disinvestment)

विनिवेश का अर्थ

विनिवेश वह प्रक्रिया है जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी इक्विटी या हिस्सेदारी को बेचा जाता है। यह प्रक्रिया निवेश के विपरीत है।

ध्यातव्य हो कि

भारत में विनिवेश में नीति का 1991 में अपनाया गया।

निवेश से आशय है किसी कारोबार, संस्था या परियोजना में धन लगाना है, जबकि विनिवेश का अर्थ धन को वापस निकालना है।

विनिवेश के प्रकार

विनिवेश प्रक्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है—1. **सामान्य या सांकेतिक विनिवेश**, जिसके अन्तर्गत सरकार अधिकतम 49 प्रतिशत तक की अपनी हिस्सेदारी बेचती है और कंपनी पर अपना स्वामितत्व बनाये रखती है। 2. **सामरिक विनिवेश**, जिसके अन्तर्गत न्यूनतम 51 प्रतिशत शेयरों का विनिवेश होता है और सरकार का कंपनी पर स्वामित्व समाप्त हो जाता है।

विनिवेश के उद्देश्य

- घाटे में चल रहे सार्वजनिक उद्यमों को बेचकर सरकार के वित्तीय बोझ को कम करना।
- लोक वित्त को बेहतर बनाना तथा सामाजिक आर्थिक कल्याण में अधिक निवेश करना।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में प्रतिस्पर्द्धा बाजार अनुशासन विकसित करना।
- कंपनियों के स्वामित्व अधिकार के दायरे का विस्तार करना।

राष्ट्रीय निवेश कोष (NIF)

सरकार ने नवम्बर 2005 में एन.आई.एफ. का गठन किया जिसमें केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश से प्राप्त धनराशि जमा करायी जानी थी। इस कोष में रखी धनराशि का 75 प्रतिशत आय का उपयोग सामाजिक क्षेत्र की चुनिन्दा योजनाओं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बढ़ावा दे, प्रयोग की जायेगी एवं शेष 25 प्रतिशत आय का उपयोग लाभप्रद तथा पुनरूद्धार योग्य सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए किया जायेगा।

तालिका 7.1: विनिवेश व भारत

वर्ष	लक्ष्य (करोड़ में)	प्राप्तियां (करोड़ में)
2011–12	40 हजार	13,894
2012–13	30 हजार	23,957
2013–14	40 हजार	15,819
2014–15	43425 हजार	23,349
2015–16	41 हजार	23,997
2016–17	56500 हजार	46,246.58

महत्वपूर्ण तथ्य

- वर्ष 2014 में सत्ता परिवर्तन के फलस्वरूप नई सरकार ने विनिवेश विभाग का नाम बदलकर **निवेश और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग** (Department of Investment & Public Management-DIPAM) कर दिया है।
- हाल ही में देश की विमानन कंपनी एयर इंडिया के बढ़ते घाटे को देखकर इसके विनिवेश की बात की जा रही है।
- विमान कंपनी एयर इंडिया की शुरूआत उद्योगपति जमशेद जी टाटा ने की थी। 1948 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।
- वर्ष 2007 में एयर इंडिया और इंडिया एयरलाइंस का नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ लिमिटेड में विलय किया गया और वर्ष 2010 में इसका नाम एयर इंडिया लि. कर दिया गया।
- देश की सर्वप्रथम विमान सेवा होने का गौरव प्राप्त इस कंपनी पर कुल मिलाकर 52 हजार करोड़ का कर्ज है।

मसाला बॉण्ड

मसाला बॉण्ड का अर्थ

भारत से बाहर जारी होने वाला वह बॉण्ड जो भारतीय मुद्रा 'रूपया' पर आधरित होता है। 'मसाला' शब्द भारतीयता को दर्शाने वाला शब्द है, जिसे बाण्ड के साथ जोड़कर भारतीय संस्कृति से अर्थव्यवस्था को जोड़ा गया है।

भारत और मसाला बॉण्ड

- जुलाई 2016 में **एचडीएफसी** ने मसाला बॉण्ड जारी किया। मसाला बॉण्ड जारी करने वाली **एचडीएफसी** पहली भारतीय कम्पनी है। उसे इस बॉण्ड से 3 हजार करोड़ रूपये का निवेश प्राप्त हुआ।
- अगस्त 2016 में **एनटीपीसी** पहली सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी थी जिसने ग्रीन मसाला बॉण्ड जारी किया, इससे एनटीपीसी को 2 हजार करोड़ रूपये का निवेश प्राप्त हुआ।
- 12 मई 2017 को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफइंडिया (NHAI) ने लन्दन स्टाक एक्सचेन्ज ने अपना मसाला बॉण्ड जारी किया जिससे 3 हजार करोड़ रूपये के निवेश प्राप्त होने का अनुमान है।

ध्यातव्य हो कि

- NHAI के मसाला बॉण्ड से निवेशकों को आकर्षित करना सम्भव है क्योंकि इस बॉण्ड पर 7.30 प्रतिशत का ब्याज देय है व 5 वर्ष की समयावधि के लिए है।
- NHAI के इस मसाला बॉण्ड से प्राप्त राजस्व का प्रयोग नेशनल हाईवे के इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में किया जाना है।
- वर्तमान में भारत में नेशनल हाईवे की लम्बाई 96 हजार किमी है। केन्द्र सरकार वर्ष 2020 तक नेशनल हाईवे की लम्बाई 2 लाख किमी करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने में ये मसाला बॉण्ड कारगर सिद्ध होंगे।

- 12 मई 2017 को पावर ग्रिड द्वारा मसाला बॉण्ड जारी करने की स्वीकृति दी गयी है। जिससे 5 हजार करोड़ रूपये के निवेश प्राप्ति करने का लक्ष्य रखा है।

भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)

आधार वर्ष: 2004-05
नवीनतम आधार वर्ष: 2011-12

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वर्ष 1937 के आधार वर्ष के साथ प्रस्तुत किया गया था तथा इसे 1950 से मासिक आधार पर जारी किया जाता है। 1937 के पश्चात अब तक IIP की संशोधित श्रृंखलाएं हैं-1946, 1951, 1956, 1960, 1976, 1980-81, 1993-94 एवं 2004-05
- 1951 में CSO की स्थापना के साथ इसे IIP के संकलन एवं जारी करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
- आईआईपी की नई श्रृंखला में किये जाने वाले परिवर्तन हैं:-

तालिका 7.2:

आधार वर्ष 2004-05 पर आधरित IIP		आधार वर्ष 2011-12 पर आधरित IIP	
क्षेत्र	**भारांश**	**क्षेत्र**	**भारांश**
खनन	14.157	खनन	14.373
विनिर्माण	75.527	विनिर्माण	77.633
बिजली	10.316	बिजली	7.994

देश का सबसे बड़ा तेल शोधक सयंत्र

स्थापना: महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के राजापुर तालुके के बाबुलवाड़ी में स्थापित।

सहयोग:
IOC: Indian Oil Corporation (50% हिस्सेदारी)
BPCL: Bhartiya Petroleum Corporation Ltd. (25% हिस्सेदारी)
HPCL: Hindustan Petrolium Corporation Ltd. (25% हिस्सेदारी)

निवेश राशि: 40 बिलियन अमेरिकी डालर (3 लाख करोड़ रूपये)

तेलशोध्न क्षमता: 60 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक (6 करोड़ टन)

स्थापना अवधि: वर्ष 2022 तक तेलशोधन शाला के प्रारम्भ होने का अनुमान।

ध्यातव्य हो कि

वर्तमान में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्वामित्व वाली गुजरात में स्थापित जामनगर रिफाइनरी भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- यह भारत के साथ-साथ विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी होगी।
- यह **शोधन शाला Green Refinery होगी**।
- इस रिफाइनरी में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, हवाई ईंधन (AFT) और पेट्रोकेमिकल्स के 'फीड स्टाक' का उपयोग प्लास्टिक, रसायन और कपड़ा उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाएगा।

एल्युमीनियम पार्क

उद्देश्य

वर्तमान में देश की कुल उत्पादन क्षमता का 54 प्रतिशत एल्युमीनियम गलाने तथा ढालने की क्षमता ओडिशा राज्य रखता है। इस क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से एल्युमीनियम पार्क की स्थापना का निर्णय लिया गया।

स्थान

नेशनल एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड (नाल्को) तथा इन्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन ऑफ ओडिशा ने 7 जुलाई 2017 को अंगुल, ओडिशा में एल्युमीनियम पार्क की स्थापना का निर्णय लिया है।

पार्क का महत्व

- 180 करोड़ रूपये के व्यय का प्रावधान है।
- 223 एकड भूमि पर तैयार किया जायेगा।
- पार्क की स्थापना से राज्य में 15 हजार नये रोजगार अवसरों का सृजन होगा।
- भारत में यह पहला औद्योगिक तथा वाणिज्यिक परिसर होगा जहाँ एल्युमीनियम को गलाने तथा ढालने की प्रक्रिया से जुड़े संयंत्रों की स्थापना की जा रही है।

स्वच्छ धन अभियान ऑपरेशन (लीन मनी)

प्रारम्भ: 31 जनवरी, 2017 से आयकर विभाग द्वारा प्रारम्भ।
उद्देश्य: भारत में काले धन को समाप्त करना।

महत्वपूर्ण उद्देश्य

- आपरेशन क्लीन मनी के प्रथम चरण में 9 नवम्बर से 30 दिसम्बर, 2016 तक (नोटबंदी की समयावधि) प्रचुर मात्रा में बैंकों में जमा की गई नकदी का ई-वेरीफिकेशन किया जायेगा।
- आपरेशन क्लीन मनी के प्रथम चरण में (9 नवम्बर से 30 दिसम्बर) यह पाया गया कि ऐसे 18 लाख लोग हैं, जिन्होंने इस अवधि में

5 लाख या उससे अधिक रूपये अपने बैंक खाते में जमा किये थे, किन्तु उनके द्वारा जमा राशि उनके आय प्रोफाइल से मेल नहीं खाती।

- आय कर विभाग संदिग्ध करदाताओं की पहचान कर 10 दिन के भीतर उनसे पूछताछ करेगी।
- जिन व्यक्तियों का स्पष्टीकरण मान्य होगा उनका तथा जिन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत धन घोषित किया है, उनका सत्यापन बंद कर दिया जायेगा।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

- 17 दिसम्बर, 2016 को प्रारम्भ तथा 31 मार्च, 2017 तक के लिए मान्य है।
- इस योजना के अन्तर्गत लोगों द्वारा अज्ञात घोषित आय पर 30% कर, 10% जुर्माना व 33% PMGKY सेंस लागू होगा।
- इसके अतिरिक्त घोषणा करने वाले व्यक्ति को अगले 4 वर्षों तक अघोषित आय का 25: शून्य ब्याज योजना के अन्तर्गत जमा करना होगा।

ध्यातव्य हो कि

Income Decleration Scheme 1 जून से 30 सितम्बर की अवधि में प्रारम्भ की गयी थी, जिसमें 30% कर और 7.5% कृषि कल्याण से तथा 7.5% पेनाल्टी आरोपित किये गये थे।

सार्वभौमिक मूलभूत आय (यूनिवर्सल बेसिक इनकम–यूबीआई)

अर्थ

यूबीआई के पीछे विचार यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को देश का नागरिक होने के नाते उसकी आवश्यकताए पूरी करने हेतु मूलभूत आय का अधिकार होना चाहिए।

यूबीआई के घटक

यूबीआई के 3 घटक है-

1. **सार्वभौमिकता:** इसकी प्रकृति सार्वभौमिक है।
2. **बिना शर्त:** लाभार्थी को सौंपी गयी नकदी के साथ किसी प्रकार की पूर्व शर्त जुड़ी नहीं है।
3. **कर्ताभाव:** गरीबों की निर्णय लेने की क्षमता का सम्मान करना एवं उनके निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना।

वैश्विक परिदृश्य

- सरकार की ओर से लोगों को एक नियमित आमदनी मिले, इस अवधारणा का आरंभ बिन्दु 18वीं सदी में देखने को मिला जब संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापक थामस जेफरसन और थॉमस पाइन ने इस अवधारणा के बारे में कहा था कि-'चूंकि अपनी प्राकृतिक अवस्था में पृथ्वी मानव प्रजाति की साँझा संपत्ति है। अत: प्रत्येक व्यक्ति समान बेसिक आय प्राप्त करने का अधिकारी है।'
- यूबीआई की अवधरणा को लागू करने के संदर्भ में स्विट्जरलैण्ड पहला ऐसा देश है, जिसने वर्ष 2016 में इस सन्दर्भ में जनमत संग्रह करवाया किन्तु यूबीआई के वित्तीय प्रभाव और इसकी वजह से लोगों में काम करने की प्रेरणा के खत्म होने की आशंका के चलते स्विट्जरलैण्ड की जनता ने इसके खिलाफ वोट किया।
- वर्तमान में फिनलैण्ड जहाँ प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत ऊँचा है, बावजूद इसके यूबीआई को पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करने की घोषणा की गयी है।

यूबीआई व भारत

हाल में भारत में यूबीआई की अवधारणा चर्चा का केन्द्र इसलिए बनी क्योंकि आर्थिक समीक्षा 2016–17 में यूबीआई को एक अध्याय के रूप में शामिल कर इसके विविध पक्षों की विस्तृत व्याख्या की गई है। साथ ही यह भी टिप्पणी की गयी है कि अनेक कारणों से आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा के भविष्य के उपाय के रूप में यूबीआई के बारे में सोचने का समय आ गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कम्पनियों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की मंजूरी

घोषणा

29 फरवरी 2016 को बजट 2016–17 प्रस्तुत करते समय अरूण जेटली (वित्त मंत्री) ने पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कम्पनियों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की बात कही।

मंजूरी

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में CCEA द्वारा 18 जनवरी 2017 की बैठक में मंजूरी प्रदान की गयी और वर्ष 2017–18 में इसे प्रस्तावित कर दिया गया।

सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कम्पनियों का शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने से लाभ

- वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कम्पनियों की कुल संख्या 5 है, जिनमें सरकार की 100 प्रतिशत
- हिस्सेदारी है। इस हिस्सेदारी को 100 प्रतिशत से कम करके 75 प्रतिशत करने के उद्देश्य से, इन कम्पनियों की
- इक्विटी के अच्छे मूल्य, शेयर बाजार में सूचीबद्ध होकर प्राप्त किये जा सकते है।
- इन कम्पनियों को बाजार से संसाधन जुटाने और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।
- सरकार का यह कदम विनिवेश के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा।

- सार्वजनिक क्षेत्र की 5 सामान्य बीमा कम्पनियाँ जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने जा रही है:-
    1. न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी।
    2. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी।
    3. नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी।
    4. ओरिएटल इंश्योरेंस कम्पनी।
    5. जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया।

नवीन थोक मूल्य सूचकांक

आधार वर्ष: 2004-05 (मई-2017 तक)

नवीनतम आधार वर्ष: 2011-12 (मई-2017 से)

महत्वपूर्ण तथ्य

- आधार वर्ष में परिवर्तन कर थोक मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला 12 मई 2017 को जारी की गयी।
- 2011-12 आधार वर्ष वाले इसे नये WPI में पहले की तरह तीन प्रमुख घटक है परन्तु उनके भारांश (Weightage) में परिवर्तन किया गया है जो निम्नवत है:-

तालिका 7.3

2004-05 पर आधारित WPI		2011-12 पर आधारित WPI	
प्रमुख घटक	**भारांश**	**प्रमुख घटक**	**भारांश**
1. प्राथमिक उत्पाद	20.1	1. प्राथमिक उत्पाद	22.62
2. ईंधन व ऊर्जा	14.9	2. ईंधन व ऊर्जा	13.15
3. विनिर्मित उत्पाद	65.0	3. विनिर्मित उत्पाद	64.23
	100.00		100.00

तालिका 7.4: वस्तुओं को संख्या में परिवर्तन

वर्ष 2004-05 पर आधारित WPI		वर्ष 2011-12 पर आधारित WPI	
वस्तुएं	**भारांश**	**वस्तुएं**	**भारांश**
1. प्राथमिक उत्पाद	102	1. प्राथमिक उत्पाद	117
2. ईंधन व ऊर्जा	19	2. ईंधन व ऊर्जा	16
3. विनिर्मित उत्पाद	555	3. विनिर्मित उत्पाद	564
कुल वस्तुएं	**676**	**कुल वस्तुएं**	**697**

- थोक मूल्य सूचकांक का आंकलन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के तहत औद्योगिक नीति एवं संबंधन विभाग (DIPP) के आर्थिक सलाहकार कार्यालय (OEA) द्वारा किया जाता है।
- यह छठा अवसर है जब इस सूचकांक का आधार वर्ष परिवर्तित किया गया। अब तक के आधार वर्ष निम्नवत रहें-1952-53, 1951-62, 1970-71, 1981-82, 1993-94 और 2004-05 रहें।
- 2011-12 के आधार वर्ष वाले इस नये थोक मूल्य सूचकांक में एक नया खाद्य सूचकांक (Food Index) भी मई 2017 में जारी किया गया। इस सूचकांक में प्राथमिक व विनिर्मित दोनों ही उत्पादों की श्रेणियों से खाद्य उत्पाद (Food Articles & Food Products) इसमें शामिल किये गये हैं।

मेथनाल इकोनामी फण्ड

उद्देश्य: पेट्रोलियम और डीजल के वैकल्पिक ईंधन के रूप में मेथनाल ईंधन का विकास करना।

मेथनाल ईंधन क्या है

- मेथनाल एक हल्का, वाष्पशील, रंगहीन ज्वलनशील द्रव है।
- यह सबसे सरल एल्कोहल है। यह जैवईंधन के उत्पादन में भी उपयोगी है।
- यह कार्बनिक यौगिक है। इसे काष्ठ अल्कोहल भी कहते हैं।
- यह प्राकृतिक गैस, कोयला एवं विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनता है।
- यह स्वच्छ ईंधन है, क्योंकि इसके दहन से कार्बन का उत्सर्जन कम होता है।
- यह ईंधन सस्ता है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध है अर्थात् मेथनाल का निर्माण कृषि उत्पादों, कोयला एवं नगरपालिका के कचड़े से भी किया जा सकता है।

मेथनाल: अर्थव्यवस्था

- मेथनाल अर्थव्यवस्था आयात प्रतिस्थापन के साथ-साथ भारत को उसके कोयले के विशाल भंडार का उपयोग करने में मद्द करेगी।
- भारत वर्तमान में सऊदी अरब और ईरान से मेथनाल आयात करता है। नीति आयोग कोयले से मेथनाल में रूपांतरण के लिए एक रोडमैप पर काम कर रही है।
- मेथनाल दुनिया के कई हिस्सों में इस्तेमाल होने वाला एक अच्छा ईंधन है। अधिकांश देशों में यह प्राकृतिक गैस से बनता है,
- जबकि भारत में यह स्थानीय रूप से उपलब्ध कोयले से प्राप्त हो सकता है।
- एक अनुसार के मुताबिक भारत कच्चे तेल के आयात पर प्रत्येक वर्ष 6 लाख करोड़ रूपये खर्च करता है। इस वैकल्पिक ईंधन के विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था आयात उन्मुख अर्थव्यवस्था से निर्यात उन्मुलन अर्थव्यवस्था की ओर कदम बड़ा सकती है।

लोक वित्त एवं प्रबन्धन प्रणाली

PFMS क्या है?: केन्द्र सरकार की सभी योजनाओं की क्रियान्वयनकारी एजेंसियों तक धनराशि के होने वाले प्रवाह की निगरानी करने की प्रणाली Public Finance& Management System-PFMS है।

PFMS का अनिवार्य उपयोग: केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने 27 अक्टूबर, 2017 को PFMS के उपयोग को अनिवार्य किया है।

PFMS का महत्वः

- केन्द्र एवं राज्य सरकारों की क्रियान्वयन कारी एजेंसियों द्वारा धनराशि के उपयोग की वास्तविक स्थिति क्या है ? का पता किया जा सकता है।
- धनराशि पर पूरी तरह नजर रखने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि धनराशि का हस्तांतरण सही समय पर हो रहा है अथवा नही।
- योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आयेगी।

नोटः वर्तमान में केन्द्रीय क्षेत्र की 13 योजनाएं PFMC के दायरे में आ चुकी हैं।

छोटे मछुआरो हेतु प्रधनमंत्री मुद्रा योजना

तिथिः 8 मार्च, 2017 प्रधनमंत्री मोदी द्वारा प्रारम्भ।
उद्देश्यः छोटे एवं हाशिये पर रहने वाले मछुआरों की आर्थिक स्थिति सुधरना।

विशेषताए

- इस योजना को पूरे देश में लागू किया जायेगा।
- इस योजना के तहत मछुआरों के समूह को एक करोड़ रूपये तक का ऋण प्रदान किया जायेगा, जिसमें से 50% राशि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
- मछुआरों को यह ऋण बड़ी व आधुनिक नावें, खरीदने हेतु उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे उनकी मद्द से अधिक दूर व गहरे में जाकर मछली पकड़ने का कार्य कर सके और अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकें।
- सरकार का मानना है कि मछुआरों के सम्पन्न न होने का एक प्रमुख कारण उनका बड़ी एवं आधुनिक नावे खरीदने में सक्षम न होना हैं, इससे उनकी आजीविका भी प्रभावित होती है, क्योंकि बड़ी एवं आधुनिक नावें न होने के कारण मछुआरे आवश्यकतानुसार मछली नहीं पकड़ पाते।
- इस योजना के माध्यम से मछुआरे समूह बनाकर ट्रण लेंगे और साझा व समूह बनाकर मछली पकड़ने का कार्य करेंगे, जिससे वे एक ओर सुरक्षित भी रहेंगे और दूसरी ओर उनकी उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होगी।
- बड़ी एवं आधुनिक नावे मछली पकड़ने हेतु समुद्री सीमा में 12 समुद्री मील तक जा सकेगी जहाँ बड़ी संख्या में मछली मिलती है।
- भारत की समुद्र तट सीमा 7,516.6 किमी. है। यह योजना मछुआरो को विस्तृत तट सीमा का दोहन करने की क्षमता देगी।

उड़े देश का आम नागरिक (UDAN)

प्रारम्भः 27 अप्रैल 2017
स्थानः शिमला के जुब्बडहट्टी हवाई अड्डे से।
उद्देश्यः विमान यात्राओं को आम आदमियों के लिए भी सुलभ बनाना।

नोटः 15 जून 2016 को घोषित नागरिक उड्डयन नीति (National Civil Aviation Policy-NCAP) में घोषित **क्षेत्रीय सम्पर्क योजना** (Regional Connevtivity Scheme) के तहत छोटे शहरों को हवाई सेवाओं से जोड़ने के लिए उड़ान योजना का मुख्य रूप से उल्लेख किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- उड़ान योजना के तहत 70 विमान पत्तनों से उड़ान संचालित करने के प्रस्तावों को मंजूरी भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने प्रदान की। इनमें से 27 एयरपोर्ट ही वर्तमान में पूरी तरह संचालित है।
- जिन विमान सेवा कंपनियों को इस योजना के तहत चुना गया है वे है-एलायंस एयर, स्पाइस जेट, टर्बो मेघा, ऐयरवेज, एयर डेक्कन व एयर ओडिशा।
- विमान से 1 घण्टे की उड़ान तथा हेलीकाप्टर से 30 मिनट तक की उड़ान के लिए अधिकतम यात्री किराया 2500 रूपये प्रति टिकट होग।
- किसी उड़ान की अधिकतम 50 प्रतिशत सीटों के लिए ही यह रियायती किराया लागू है शेष सीटों के लिये किराया बाजार आधरित होगा।

तालिका 7.5ः जीएसटी से सम्बन्धित शब्दावलियाँ

शब्दावली	*विश्लेषण*
जीएसटी पंजीकरणः	सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बिना जीएसटी पंजीकरण के व्यवसाय नहीं किया जा सकता किन्तु इसके अंतर्गत छोटे व्यापारियों को राहत दी गई है। ऐसे कारोबारी जिनका वार्षिक टर्न ओवर 20 लाख रूपये से कम है उन्हें जीएसटी से बाहर रखा गया है। उत्तरी-पूर्वी राज्यों (सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड एवं पूर्वोत्तर राज्यों) में यह छूट सीमा 10 लाख रूपये है। **नोटः** वैट, सेवाकर, उत्पाद शुल्क आदि करों का भुगतान करने वाले करदाताओं को जीएसटी में पंजीकृत होना आवश्यक है। भले ही उनका वार्षिक टर्न ओवर 'छूट सीमा' (20 लाख/10 लाख) के अंदर हो।

(Continued)

तालिका 7.5: जीएसटी से सम्बन्धित शब्दावलियाँ *(Continued)*

शब्दावली	*विश्लेषण*
कम्पोजीशन स्कीम:	सरकार ने ऐसे व्यवसायियों जिनका टर्न ओवर 75 लाख रूपये या उससे अधिक है, उनके लिए कम्पोजीशन स्कीम की सुविधा दी है। इसके तहत व्यवसायी एक निश्चित समयावधि में एक निश्चित दर से कर का भुगतान कर सकेंगे और उन्हें वर्ष में केवल 5 रिर्टन भरने की आवश्यकता होगी। कम्पोजीशन स्कीम में तीन स्लैब होगी, जिसमें पहला ट्रेडर्स (बेचने वाला) को 1 प्रतिशत, दूसरा निर्माण को 2 प्रतिशत और तीसरा रेस्तरां मालिक को 5 प्रतिशत की वार्षिक दर से कर देना होता है।
E-Way Bill:	**जारी करने का निर्णय:** जीएसटी परिषद द्वारा 10 मार्च 2018 को निर्णय लिया गया। **लागू करने की तिथि:** 01 अप्रैल 2018 से देश भर में लागू। **राज्य के भीतर (इंट्रस्टेट) माल की ढुलाई पर लागू:** 15 अप्रैल 2018 से अबत क 16 राज्यों/के.प्र. में लागू (उ.प्र. आंधप्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, केरल, बिहार, झारखण्ड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, अरूणाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, मेघालय, सिक्किम, पुदुचेरी।) **उद्देश्य:** टैक्स चोरी को रोकना तथा परिवहन में लगने वाले समय की बचत। **E-Way Bill:** जीएसटी लागू होने के बाद 50 हजार रूपये या ज्यादा के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य के भीतर 50 किलोमीटर या अधिक दूरी तक ले जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक परमिट की जरूरत होगी। इस इलेक्ट्रॉनिक बिल को ही ई-वे बिल कहते है, जो जीएसटीएन के अंतर्गत आता है। **E-Way Bill की वैधता:** यह वैधता वस्तु ले जाने की दूरी के आधार पर तय होगी जैसे:-

दूरी (किलोमीटर में)	**ई-वे बिल की वैधता**
100 किमी तक	1 दिन
100-300 किमी तक	3 दिन
300-500 किमी तक	5 दिन
500-1000 किमी तक	10 दिन
1000 किमी से अधिक	15 दिन

GSTN:	देश में जीएसटी के कार्यान्वियन के लिए 28 मार्च 2013 को केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और कई वित्तीय संस्थानों ने मिलकर लाभ न कमाने वाली एक गैर सरकारी संस्था 'वस्तु एवं सेवाकर नेटवर्क (GSTN) का गठन किया।
GSTIN:	जीएसटी के क्रियान्वयन के लिए गठित GSTN में करदाताओं को अपना पंजीकरण करवाना होता है और पंजीकरण के पश्चात् प्रत्येक करदाता के लिए 15 अंक का यूनिक पहचान संख्या जारी किया जाता है। यह यूनिक पहचान संख्या Goods & Services Tax Identifivation Number– GSTIN कहलाता है।
इन-पुट क्रेडिट:	एक शर्ट निर्माता ने 100 रूपये मूल्य की शर्ट का उत्पादन किया और उस पर 10 प्रतिशत का कर लगा अतः शर्ट की कीमत 110 रूपये हो गयी, यह 110 रूपये की शर्ट थोक विक्रेता ने खरीदी और उस पर नया लेबल चस्पा किया, नया मूल्य का अर्थ मुनाफा मान लेते है उसने 40 रूपये लाभ जोड़ा। इस प्रकार शर्ट का मूल्य 150 रूपये हो गया। 150 रूपये की शर्ट पर 10 प्रतिशत का कर आरोपित होता है अर्थात् 15 रूपये कर हुआ। यहाँ पर इन-पुट क्रेडिट (15-10-5 रूपये) 10 रूपये होगा और उसे केवल 5 रूपये ही कर के रूप में सरकार को देना होगा।

(Continued)

शब्दावली	*विश्लेषण*
एंटी प्रोफे टरिंग ऑथारिटी:	जीएसटी एक्ट में एक प्रोविजन है, जिससे केन्द्र सरकार को जीएसटी लागू होने के बाद कंपनियां प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के दाम में क्या बदलाव करती है, इस पर नजर रखने के लिए कोई संस्था बनाने का अधिकार है। इससे यह पक्का किया जाएगा कि कंपनियां टैक्स बदलाव का मुनाफा अपनी जेब में ना रखे और उसका फायदा ग्राहकों को दे। **नोट:** आस्ट्रेलिया और मलेशिया में हाल में जीएसटी कानून लागू हुआ है, जिसमें ऐसी शर्त रखी गई थी। भारत ने इस बारे में दोनों देशों की राय ली है। इसे लागू करने के लिए त्रिस्तरीय ढाँचा बनाया गया है। जीएसटी काउंसिल ने एक स्टैडिंग कमेटी बनाई है, जिसके पास ग्राहक शिकायत भेज सकेंगे। शिकायत देखने के बाद कमेटी उसे डायरेक्टर जनरल ऑफ सेफगाड्र्स के पास फ ारवर्ड करेगी, जो ग्राहक के लगाए आरोपों की जाँच करेगी। इस जाँच के नतीजे का आखिरी फैसला Independent Anti Profiteering द्वारा किया जायेगा। Authority के पास दोषी कंपनी पर पेनाल्टी लगाने, अतिरिक्त रकम को वापस करने का आदेश देने और कंपनी का लाइसेंस कैंसल करने तक का अधिकार होगा। **नोट:** जीएसटी रेट में कमी का फायदा ग्राहकों को देने के लिए अर्थात् कंपनियों की मुनाफाखोरी रोकने के लिए National Anti Profiteering Authority के गठन की मंजूरी कैबिनेट ने दी। **महत्वपूर्ण तथ्य:** • Authority अपने आप कंपनी के खिलाफ एक्शन नही ले सकती। वहीं जो भी शिकायत की जाएगी उसके लिए ऐसे दस्तावेज देने होंगे, जिनसे साबित हो कि टैक्स बेनिफिट का फायदा ग्राहकों को नहीं मिला। • यह Authority केवल उन्हीं मामलों को देखेगी जहां एक करोड़ रूपये से ज्यादा की राशि जुड़ी होगी। शेष को स्टेट स्क्रीनिंग कमेटी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। • यदि किसी मामले में लाभार्थी की पहचान नही हो पाती है तो कंपनी को यह राशि निर्धारित समय में **उपभोक्ता कल्याण कोष** में ट्रांसफर करने के लिए कहा जाएगा। • जीएसटी विधेयक के अनुबन्ध 171(1) के अनुसार वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति से जुड़ी कर दरों में किसी भी तरह की कमी या इनपुट कर क्रेडिट का कोई भी लाभ ग्राहकों तक पहुंचाया जाना चाहिए। ऐसा कीमत में कमी के जरिए किया जा सकता है।

किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (Kisan Urja Suraksha Evam Utthan Mahaabhiyn–KUSUM)

तिथि: 1 फरवरी, 2018

घोषणा: बजट 2018-19 में

उद्देश्य: सोलर फार्मिंग को प्रोत्साहन देना।

महत्वपूर्ण तथ्य

- आम बजट 2018-19 में इस योजना के लिए 48 हजार करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

नोट: कुसुम योजना पर कुल 1.40 लाख करोड़ रूपये की लागत आयेगी।

- इस योजना के तहत देश में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी पंपों को सोलर आधारित बनाया जायेगा।
- वर्ष 2022 तक देश में 3 करोड़ पंपों को बिजली या डीजल की जगह सौर ऊर्जा से चलाया जायेगा।
- पहले चरण में उन पंपों को शामिल किया जायेगा, जो डीजल से चल रहे हैं इस तरह के 17.5 लाख सिंचाई पंपों को सौर ऊर्जा से चलाने की व्यवस्था की जाएगी। इससे डीजल की खपत कम होगी।
- यह योजना किसानों को दो तरफ से फायदा पहुंचायेगी। एक तो मुफ्त में सिंचाई के लिए बिजली मिलेगी और दूसरा वह अतिरिक्त बिजली बनाकर ग्रिड को भेजते हैं तो उसके बदले कीमत भी मिलेगी।
- एक अनुमान के अनुसार अगर देश के सभी सिंचाई पंपों में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होता है तो न केवल मौजूदा बिजली की बचत होगी बल्कि 28 हजार मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन भी संभव होगा।
- कुसुम योजना के अगले चरण में सरकार किसानों को उनके खेतों के ऊपर या खेतों की मेड़ों पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा बनाने की छूट देगी।

प्रधानमंत्री रिसर्च फैलोज स्कीम (Pradhan Mantri Research Fellows Scheme–PMRFS)

घोषणा: बजट भाषण 2018-19 में, वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा।
स्वीकृत: केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 7 फरवरी, 2018 को।
लागत व्यय: 1650 करोड़ रूपये (वर्ष 2018-19 से 7 वर्षों के लिए)
मंत्रालय: केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उद्देश्य: विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्वदेशी शोध हेतु भारतीय प्रतिभा का दोहन।

महत्वपूर्ण तथ्य:

- IIc (Indian Institute of Sciences)
- IIT (Indian Institute of Technology)
- NIT (National Institute of Technology)
- IISER (Indian Institute of Science Education & Research)
- IIITs(Indian Institute of Information Technology)
  उक्त संस्थाओं से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषयों में बी-टेक अथवा एमटेक या एमएसफ उत्तीर्ण करने वाले अथवा अंतिम वर्ष के सर्वोत्तम छात्रों को IIT/IISc में पीएचडी कार्यक्रम में सीधा प्रवेश दिया जायेगा।
- ऐसे पात्र छात्रों को RMRFS के तहत निम्न सुविधाए दी जायेंगी-
  - 2 वर्षों के लिए - 70 जहार रूपये प्रतिमाह की फेलोशिप
  - 3 वर्षों के लिए - 75 हजार रूपये प्रतिमाह की फेलोशिप
  - 4 व 5 वर्ष के लिए- 80 हजार रूपये प्रतिमाह की फेलोशिप
- इसके अतिरिक्त प्रत्येक Fellows को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और सेमिनारों में शोध-पत्र प्रस्तुत करने के लिए उनकी विदेश यात्र से सम्बन्धित खर्च को पूरा करने के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए 2 लाख रूपये का शोध अनुदान दिया जायेगा।
- वर्ष 2018-19 की अवधि के प्रारम्भ के 3 वर्षों में अधिकतम 3000 फेलों का चयन किया जाएगा।

वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (Senior Citizen Welfare Fund–SCWF)

SCWF का गठन: वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष का गठन 2015-16 के बजट में की गयी घोषणा के पश्चात् किया गया था।

SCWF के गठन का उद्देश्य : बीमा कम्पनियों के 10 वर्ष व उससे अधिक समय से लम्बित दावा रहित राशियां (Unclaimed Funds) का समूचित उपयोग हेतु।

वर्तमान स्थिति: IRDA(Insurance Regulatory & Development Authority) द्वारा सभी बीमा कंपनियों को फरवरी 2018 में यह निर्देश जारी किये गये कि पॉलिसी धारकों के 30 सितम्बर 2017 तक विगत 10 वर्षों व उससे अधिक समय से लम्बित दावा रहित राशियों को 1 मार्च 2018 से पहले वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष में स्थानान्तरित किया जाये।

IRDA एक दृष्टि में: IRDA भारत सरकार का एक प्राधिकरण है (Autonomus Statutory Agency) इसका उद्देश्य बीमा की पॉलिसी धरकों के हितो की रक्षा करना, बीमा उद्योग का क्रमब (विनियमन, संवर्धन तथा संबंधित व आकस्मिक मामलों पर कार्य करना है। इसका मुख्यालय हैदराबाद (तेलंगाना) में है। इसकी स्थापना संसद के अधिनियम IRDA Act. 1999 द्वारा की गयी है।

SCWF में रखी: इस कोष में रखी गयी राशि का प्रयोग वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा को प्रोत्साहित करने, वृद्धावस्था पेशन, हेल्थकेयर, राशि का प्रयोग स्वास्थ्य बीमा व बुजुर्ग विधवाओं के कल्याण के लिए किया जायेगा। इस राशि का इस्तेमाल वृद्ध आश्रमों से जुड़ी योजनाओं में भी किया जायेगा।

नोट: देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 10.5 करोड़ से अधिक है इनमें से 70 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में रहते है और बड़ी संख्या बीपीएल श्रेणी की है।

एमएसएमई के मानकों में परिवर्तन (Change in the Indicators of MSMEs)

पूर्व की स्थिति: सूक्ष्म (Micro), लघु (Small) एवं मध्यम (Medium) उपक्रम के रूप में वर्गीकृत इन उद्योगों को 'प्लांट एवं मशीनरी में निवेश' के मानक के रूप में वर्गीकृत किया जाता था।

मानको में परिवर्तन: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 (MSMEs Developemnt Act, 2006) के अनुच्छेद 7 में संशोधन की मंजूरी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की 7 फरवरी, 2018 में सम्पन्न बैठक में दी गयी। इस मंजूरी के बाद से एमएसएमई उद्योगों के वर्गीकरण का मानक प्लांट एवं मशीनरी में निवेश के स्थान पर '**वार्षिक कारोबार**' (Annual turnover) होगा।

मानकों में परिवर्तन: मानको को ग्रोथ ओरिएंटेड करना, कारोबार सुगमता (Easy of Doing Business) में वृद्धि करना साथ ही नई जीएसटी प्रणाली का उद्देश्य के अनुकूल मानकों को करना।

MSMEs के नवीन:

- **सूक्ष्म उपक्रम (Micro enterprice):** ऐसी इकाई को सूक्ष्म उपक्रम के रूप में परिभाषित किया जाएगा, जिनका वार्षिक मानक कारोबार 5 करोड़ से कम हो।
- **लघु उपक्रम (Small enterproce):** ऐसी इकाई को लघु उपक्रम के रूप में परिभाषित किया जाएगा, जिनका वार्षिक करोबार 5 करोड़ से अधिक किन्तु 75 करोड़ रूपये से कम हो।

नोट: बजट 2018-19 के अन्तर्गत यह घोषणा की गयी थी कि 250 करोड़ के वार्षिक टर्नओवर वाले कारोबारी को कार्पोरेट टैक्स से मुक्त रखा जायेगा। इस घोषणा से लगभग देश 99 प्रतिशत उद्यमी कर मुक्त का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

- **मध्यम उपक्रम (Midium Enterprice):** ऐसी इकाई को मध्यम उपक्रम के रूप में परिभाषित किया जाएगा, जिनका वार्षिक करोबार 75 करोड़ से अधिक किन्तु 250 करोड़ रूपये से कम हो।

नाबार्ड (संशोधन) विधेयक-2017 (NANARD (Amendment) Bill-2017)

लोक सभा में पारित: अगस्त, 2017

राज्य सभा में पारित: 2 जनवरी, 2018

उद्देश्य: NANARD (Amendment) Bill-2017, NABARD Act, 1981 में संशोधन के द्वारा नाबार्ड को अधिक से अधिक सशक्त बनाने का प्रयास करता है।

तालिका 7.6:

महत्वपूर्ण तथ्य NABARD Act, 1981	NANARD (Amendment) Bill-1981
• इसके तहत नाबार्ड की अधिकृत पूंजी 100 करोड़ रूपये तक हो सकती थी, जिसे केन्द्र सरकार व **RBI** की सलाह से 5000 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है।	• वर्तमान बिल में नाबार्ड की अधिकृत पूंजी को 30,000 करोड़ करने का प्रावधन है, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा **RBI** की सलाह से बढ़ाया भी जा सकता है।
• नाबार्ड अधिनयम 1981 के अनुसार, नाबार्ड में केन्द्र सरकार एवं रिजर्व बैंक की संयुक्त हिस्सेदारी को न्यूनतम 51 प्रतिशत रखने का प्रावधान है।	• प्रस्तावित विधेयक में नाबार्ड में केन्द्र सरकार की न्यूनतम हिस्सेदारी 51% निर्धारित की गयी है।
• वर्ष 1981 के प्रावधनों के तहत नाबार्ड केवल लघु उद्योगों (Smal Scale Industries), कुटीर व ग्रामोद्योग (Cottage & Village Industries) के लिए ही ऋण उपलब्ध कराता है।	• प्रस्तावित विधेयक में इस समूह में सूक्ष्म एवं मध्यम (Micro & Medium Industries) उद्योगों की श्रेणीयों को भी शामिल करने का प्रावधान है।

नोटः केन्द्र सरकार की नाबार्ड में हिस्सेदारी = 99.6% RBI की नाबार्ड में हिस्सेदारी = 0.4% (यह लगभग 20 करोड़ के बराबर है।)

नवीनतम शब्दावली

1. **हौसला, 2017 (Honsla 2017):** केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 14 नवम्बर (बाल दिवस) से 20 नवम्बर (अन्तर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस) के मध्य 'बाल अधिकार सप्ताह' (हौसला 2017) मनाया गया।

   महत्वपूर्ण तथ्य: बाल अधिकार सप्ताह मनाने का उद्देश्य बाल देखभाल संस्थानों (Child Care Institution-CCI) में रह रहे बच्चों को प्रतिभा दिखाने का मौका प्रदान करना था। इस सप्ताह का आयोजन दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहाँ विभिन्न प्रतियोगिता में विजित होने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया।

2. **भादभूत बाँध परियोजना (Bhadbhut Dam Project):**

   प्रारम्भ: 8 अक्टूबर, 2017, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शिलान्यास।

   स्थान: भरूच (गुजरात)।

   उद्देश्य: नर्मदा नदी में पानी के खारेपन को नियंत्रित कर पेयजल की सुविधाओं एवं मत्स्यपालन के लिए दो चैनल तैयार करना।

   लागत राशि: 4337 करोड़ रूपये।

   समयावधि: वर्ष 2019-20 तक बांध का कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

   महत्वपूर्ण तथ्य: समुद्री जल के कारण भरूच तथा आसपास के क्षेत्रों में हजारों एकड़ जमीन अनुर्वर हो गयी है। इसे उर्वर बनाने का प्रयास इस परियोजना के माध्यम से किया जायेगा।

3. **आल इण्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद (All India Institute of Ayurveda)**

   प्रारम्भ: 17 अक्टूबर, 2017 को प्रधनमंत्री मोदी द्वारा देश को समर्पित।

   नोट: 17 अक्टूबर को धनवन्तरि दिवस मनाया जाता है।

   स्थान: नई दिल्ली।

   महत्वपूर्ण तथ्य:
   - यह देश का पहला ऐसा केन्द्र है, जह
   - देश के पहले आयुर्वेद संस्थान का संचालन केन्द्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा किया जायेगा।
   - इस संस्थान में आयुर्वेद से सम्बन्धित सभी क्षेत्रों में चिकित्सा तथा चिकित्सा अनुसंधान की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी।
   - केन्द्रीय आयुष मंत्रालय ने देश के सभी जिला मुख्यालयों में आयुर्वेद चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगले 3 वर्षों में देश में 65 आयुष अस्पतालों की स्थापना की जानी है।

4. **नानाजी देशमुख प्लांट फेनोमिक्स सेण्टर (Nanaji Deshmukh plant phenomics Center):**

   प्रारम्भ: 11 अक्टूबर, 2017 प्रधानमंत्री मोदी द्वारा।

   स्थान: भारतीय कृषि अनुसंधन संस्थान (Indian Institutes of Agriculture Research) नई दिल्ली में इस सेण्टर की स्थापना की गयी है।

   उद्देश्य: यह सेन्टर जलवायु परिवर्तन प्रतिरोधी फसल प्रजातियों के विकास तथा अनुसंधन के क्षेत्र में कार्य करेगा।

5. **गरीब नवाज कौशल विकास केन्द्र (Gareeb Nawaz Kaushal viksa Center):**

प्रारम्भ: 8 जुलाई, 2017

स्थान: हैदराबाद (तेलंगाना)

मंत्रालय: केन्द्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय (केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा इस केन्द्र की आधारशिला रखी गयी।)

महत्वपूर्ण तथ्य:

- यह देश का पहला ऐसा केन्द्र है, जहाँ अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओ को रोजगार उन्मुख कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- यह संस्थान GST से सम्बद्ध अकाउण्टिंग एवं प्रोग्रामिंग से जुड़े सार्टिफिकेट कोर्स की पढ़ाई करवायेगा और क्रैज् पर आधरित कोर्स तीन महीने का होगा ताकि GST से संबंधित समस्याओं को निपटाने के विशेषज्ञों की संख्या में वृद्धि की जा सके और साथ ही शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।
- गरीब नवाज कौशल विकास केन्द्र की स्थापना देश के 100 जिलों में की जानी है।
- इन केन्द्रों में प्रारम्भ किये जाने वाले कोर्स हैं- स्वास्थ्य सेवाएं, मोबाइल तथा लेपटॉप रिपेयरिंग, कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग रिटेल मैनेजमेंट, मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण इत्यादि।

6. **जिज्ञासा कार्यक्रम (Jigyasa Yojana):**

प्रारम्भ: 6 जुलाई, 2017, नई दिल्ली से।

उद्देश्य: विद्यार्थियों तथा वैज्ञानिकों के बीच संवाद स्थापित करना है, जिससे क्लासरूम शिक्षा का विस्तार करते हुए योजनाबद्ध रिसर्च को प्रभावी बनाने का तथा प्रयोगशाला आधारित शिक्षा को स्थान मिल सके।

समझौता: जिज्ञासा कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific and Industrial Research-CSIR) व केन्द्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के मध्य समझौता हुआ है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस कार्यक्रम को देश के 1151 केन्द्रीय विद्यालयों में चलाया जायेगा, जिससे प्रत्येक वर्ष 1 लाख विद्यार्थियों तथा 1000 शिक्षकों को जोड़ने का लक्ष्य CSIR का।

7. **भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (Indian Agricultural Research Institute IARI):**

स्वीकृति: 17 मई, 2017 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में IARI की स्थापना की स्वीकृति दी गयी।

स्थान: IARI की स्थापना धेमाजी असम में की जायेगी।

महत्वपूर्ण तथ्य:

- इस संस्थान की स्थापना शत-प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा पोषित व्यय से की जायेगी।
- यह संस्थान असम में कृषि शिक्षा में उच्चतर अध्ययन के एक स्नातकोत्तर (Post Graduate) संस्थान के रूप में विकसित किया जायेगा।
- इस संस्थान में खेत फसलों, बागवानी फसलों, कृषि वानिकी, पशुपालन, मात्स्यिकी पालन, कुक्कुट पालन, रेशम कीट पालन, शहद उत्पादन आदि जैसे कृषि के सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

नोट: भारत में IARI, नई दिल्ली (1905 में स्थापना) में स्थित है, जिसके प्रशासन व वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति ICAR (Indian Council of Agricultural Research) करता है।

उत्तर पूर्व विशेष आधारभूत संरचना विकास योजना (North East Special Infrastructure Development Scheme–NESIDS)

मंजूरी: 15 दिसम्बर, 2017 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा।

प्रारम्भ: 2017–18

उद्देश्य: पूर्वोत्तर राज्यों में वर्ष 2020 तक चुने हुए क्षेत्रों का विकास कर अन्य राज्यों से आधारभूत संरचना के विकास के अन्तर को पाटा जा सके।

धनराशि का आवंटन: 90 हजार करोड़ (इस धनराशि से पूर्वोत्तर राज्यों में सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास किया जायेगा तथा पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को रेल लाइनों से जोड़ जायेगा।)

राशी के प्रयोग हेतु चुने गये अन्य क्षेत्र: शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, विद्युत, पर्यटन आदि क्षेत्रों के लिए आधारभूत ढॉचा विकसित करना।

योजना का लाभ: NESIDS के अन्तर्गत सृजित की जाने वाली परिसम्पत्तियों से न केवल पूर्वोत्तर राज्यों में स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सुविधाएं मजबूत होंगी, बल्कि इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह योजना आने वाले वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी।

तुइरियल पनबिजली परियोजना (Turial Hydropower Project)

प्रारम्भ: 16 दिसम्बर 2017 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मिजोरम की राजधनी आइजोल में 60 मेगावाट वाली ज्नतपंस भ्लकतवचवूमत च्तवरमबज का प्रारम्भ किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इस परियोजना के संचालन के साथ ही मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के बाद बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर होने वाला पूर्वोत्तर का तीसरा राज्य बन जायेगा।
- यह परियोजना तुइरियल नदी जो बराक नदी की सहायक नदी है पर किया जायेगा।

- इस परियोजना से 25.1 करोड यूनिट बिजली प्रतिवर्ष उत्पादन होगी जिससे राज्य के आर्थिक विकास को बढावा मिलेगा।

नोट:

- तुइरियल परियोजना वर्ष 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी द्वारा मंजूर की गयी थी।
- यह मिजोरम में सफलतापूर्वक प्रारम्भ होने वाली केन्द्र सरकार की पहली बड़ी परियोजना है।

स्टेट ईज़ी डूइंग बिजनेस इंडेक्स (States Easy Doing Business Index)

तिथि: दिसम्बर 2017

जारीकर्ता: औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (Department of Industrial Policy & Promotion)

नोट: यह रिपोर्ट व्यापार सुधरों के कार्यान्वियन पर राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत विवरणों पर आधरित है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इस रैंकिंग में प्रथम स्थान **हरियाणा** का रहा तथा दूसरा स्थान संयुक्त रूप से **गुजरात** व **तेलंगाना** का रहा।
- तीसरा, चौथा और पांचवा स्थान क्रमशः आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश का है।
- उत्तरप्रदेश को 17वीं रैंक प्राप्त हुई।
- 36 राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में सबसे निम्न स्थान प्राप्तकर्ता राज्य है- 36वीं रैंक संयुक्त रूप से अरूणाचल, मेघालय एवं लक्ष्यद्वीप रहे। यह राज्य व्यापार सुधरों को लागू करने में असफल रहे।
- 35वी रैंक के साथ संयुक्त रूप से मणिपुर व सिक्किम रहे।

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizen–NRC)

NRC क्या है?: राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC भारतीय नागरिकों के नाम वाला रजिस्टर है, जो वर्ष 1951 में तैयार किया गया और इसे असम में अवैध प्रवासियों को ढूंढ निकालने के लिए अपडेट किया जा रहा है। क्योंकि असम में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों का मामला बहुत बड़ा मुद्दा रहा है।

उद्देश्य: भारत के मूल नागरिकों की पहचान करना और अवैध तौर पर रह रहे लोगों को देश से बाहर करना।

तालिका 7.7: NRC का सफर

वर्ष	महत्वपूर्ण तथ्य
1985:	80 के दशक में अवैध बांग्लादेशियों को लेकर एक बड़ा स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था, जिसके बाद 1985 में All Assam Students Union (AASU) और तत्कालीन राजीव गांधी सरकार के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तीन पक्षकार थे-केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और AASU इस समझौते के तहत वर्ष 1971 तक जो भी बांग्लादेशी असम में घुसे उन्हें नागरिकता देना और बाकी को निर्वासित किया जाना था। मध्यरात्रि 24 मार्च, 1971 के बाद बागलादेश से असम आने वालों को अवैध घुसपैठिया माना जायेगा यह Cut-off तिथि है, किन्तु यह समझौता लागू नहीं हो सका।
2005:	जब वर्ष 2005 में घुसपैठी बांग्लादेशियों के मामले ने जोर पकड़ा तब कांग्रेस की असम सरकार ने एनआरसी पर काम करना पुनः शुरू किया।
2009:	असम के NGO 'Assam Public Works' ने बांग्लादेशियों को चिन्हित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
2013:	याचिका पर फैसला लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने एनआरसी को अपडेट करने के निर्देश दिये।
2017:	31 दिसम्बर, 2017 की मध्यरात्रि को भारत के रजिस्ट्रार जनरल शैलेश कुमार ने असम में 'NRC' का पहला मसौदा (Draft) जारी किया। इसमें असम के कुल 3.29 करोड़ आवेदनों में से 1.9 करोड़ लोगों को कानूनी रूप से भारत का नागरिक माना गया। बांकी आवेदनों का सत्यापन विभिन्न चरणों में होगा।
2018:	यह मसौदा वर्ष 2018 में पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जायेगा।

चुनावी बॉण्ड (Electoral Bond)

घोषणा: बजट 2017-18 में वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा घोषित।

रूपरेखा की अधिसूचना: 2 जनवरी 2018 वित्त मंत्रालय द्वारा।

उद्देश्य: भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अवैध नकदी के प्रभाव को रोकने के लिए।

महत्वपूर्ण तथ्य

- ये बॉण्ड अब राजनीतिक दलों को दान देने का एकमात्र विकल्प होंगे।
- राजनीतिक दलों को दान देने के इच्छुक व्यक्ति भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं के माध्यम से इन बॉण्डों को खरीद सकेंगे।

- ये बॉण्ड ब्याज मुक्त बैंकिंग पत्र होंगे।
- ये चुनावी बॉण्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर महीने में 10 दिनों के लिए खरीद हेतु उपलब्ध होंगे।
- चुनावी बॉण्ड की समयसीमा 15 दिन की होगी। इस समयसीमा के भीतर पंजीकृत राजनीतिक दलों को चंदे के तौर पर बॉण्ड अपने बैंक खाते में जमा करने होंगे।
- चुनावी बॉण्ड 1000 रूपये, 10000 रूपये, 1 लाख रूपये, 10 लाख रूपये और 1 करोड़ रूपये के मूल्य में उपलब्ध होंगे।

कॉम्प्रिहेन्सिव एण्ड प्रोग्रेसिव एग्रीमेण्ट फॉर ट्रॉंस-पैसिफिक पार्टनर शिप (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership–CPTPP)

TPP एक दृष्टि में: ट्रांस-पेसिफिक पार्टनरशिप (TPP) 12 देशों के बीच 4 फरवरी 2016 को सम्पन्न एक व्यापारिक समझौता था, जिससे अमेरिका जनवरी 2017 में अलग हो गया। यह समझौता पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय में हुआ था और डोनाल्ड ट्रम्प के **अमेरिका फर्स्ट** एजेण्डा के तहत अमेरिका इस ब्लॉक से अलग हो गया।

CPTPP एक दृष्टि में: अमेरिका के अलग होने के बाद 11 देशों (1. अमेरिका, 2. ब्रुनेई, 3. कनाडा, 4. चिली, 5. जापान, 6. मलेशिया, 7. मेक्सिको, 8. न्यूजीलैण्ड, 0. पेरू, 10. सिंगापुर, 11. वियतनाम) ने 8 मार्च 2018 को सेटिंयागो (चिली) में संशोधित ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर कर दिया। अब इस समझौते का नया नाम **कॉम्प्रिहेन्सिव एण्ड प्रोग्रेसिव ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (CPTPP)** हो गया है।

CPTPP के महत्वपूर्व: वर्तमान में 11 ऐसे देश जो प्रशांत महासागीय क्षेत्रों के चारों ओर अवस्थित है, के मध्य एक व्यापार समझौता है जिसका तथ्य मुख्य फोकस सदस्य देशों के बीच आयात-नियात पर अधिरोपित (Imposed) होने वाले प्रशुल्क दरों में कटौती करना है। इस समझौते को अगले 60 दिनों में लागू किये जाने का प्रावधन है। CPTPP के हस्ताक्षर होने से सदस्य देशों के मध्य 98 प्रतिशत प्रशुल्क दरों के अधिरोपण में कमी आयेगी, जिससे एक ओर परस्पर व्यापारिक गतिविध्यिों में तेजी आयेगी, साथ ही सदस्य देशों के निर्यात स्तर में अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी होगी। इससे संरक्षणवाद और व्यापारिक प्रतिस्पर्धएं (Protectionism & Trade Competitions) जैसी स्थितियों में कमी आयेगी।

***नोट:* CPTPP,** North American Free Trade Agreement (NAFTA) और European Union (EU) से छोटा अर्थात विश्व का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लाक है।

तालिका 7.8: अमेरिका सहित व अमेरिका के बिना स्थिति:

TPP (12 देश)	CPTPP (11 देश)
800 मिलियन जनसंख्या का प्रतिनिधित्व	500 मिलियन जनसंख्या का प्रतिनिधित्व
40 प्रतिशत वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व	13.5 प्रतिशत वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व
विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र	विश्व का तीसरा बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र

राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण (National Financial Reportion Authority–NFRA)

मंजूरी: 2 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा।

संचालन: इस प्राधिकरण में 1 अध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक सदस्य व 1 सचिव कार्यरत होंगे।

महत्वपूर्ण तथ्य

- NFRA ऑडिटिंग व्यवसाय के लिए निष्पक्ष विनियामक के रूप में कार्य करेगा।
- NFRA के गठन से देश-विदेश में निवेश सुधार, आर्थिक वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं के अनुरूप कारोबार, वैश्वीकरण को समर्थन तथा लेखा परीक्षा व्यवसाय के सतत विकास में सहायता मिलेगी।
- NFRA के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनकी कंपनियों की जांच के साथ, सूचीब(सरकारी कंपनियों और बड़ी संख्या में गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों की भी जांच करेगा।

TAPI परियोजना

TAPI: यह एक गैस पाइपलाइन परियोजना है, जो तुर्कमेनिस्तान के दौलताबाद गैस क्षेत्र से शुरू होकर, अफगानिस्तान के हेरात व कंधार तथा पाकिस्तान के क्वेटा व मुल्तान से होकर भारत में फाजिल्का (पंजाब) तक आयेगी।

समझौता: चारों देशों के प्रमुखों ने वर्ष 2010 में ही इस परियोजना पर अंतरसरकारी समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं।

कुल लम्बाई: 1680 किलोमीटर।

लागत: 7.5 अरब डालर (लागत में वृद्धि की संभावना है)।

महत्वपूर्ण तथ्य

- अफगानिस्तान में 500 मील से अधिक लंबी पाइपलाइन तालिबान नियंत्रित इलाके से गुजरती है। आतंकवादी संगठन तालिबान ने तापी पाइपलाइन को समर्थन देने की घोषणा कर इस पाइपलाइन की सुरक्षा संबंधी चिन्ता को दूर कर दिया है।

नोट: इस परियोजना में तुर्कमेनिस्तान प्राकृतिक गैस का आपूर्तिकर्ता देश है, जबकि शेष तीनों दशे प्रकृतिक गसै के खरीददार है।

लैटर ऑफ अंडरस्टैडिंग, लैटर ऑफ कंफर्ट एवं लैटर ऑफ क्रेडिट

लैटर ऑफ अंडरस्टैडिंग और लैटर ऑफ कंफर्ट के माध्यम से बैंक अपने ग्राहकों को आयात के लिए गारंटी मुहैया कराते है। अर्थात आयात के लिए विदेश में भुगतान के लिए दिया जाता है। एलओयू जारी करने वाला बैंक गारंटर बन जाता है और वह अपने क्लाइंट के लोन पर मूलधन और उस पर लगने वाले ब्याज को बेशर्त भुगतान करना स्वीकार करता है। जब यह जारी किया जाता है तो इसे जारी करने वाला बैंक, स्वीकार करने वाला बैंक, आयातक और विदेश में इससे लाभान्वित होने वाली कम्पनी शामिल होती है। लैटर ऑफ क्रेडिट ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि आयातक की जानकारी, जारी करने की तारीख, एक्सपायरी डेट और जिस सामान को खरीदने के लिए यह लिया गया है, उसकी जानकारी भी होती है, जबकि एलओयू में ऐसी जानकारी शामिल नहीं होती है।

नोटः एलओयू और लैटर ऑफ कंफर्ट के माध्यम से कर्ज देने वाले बैंक इन्हें जारी करने वाली बैंक की गारण्टी के आधार पर ही धनराशि का भुगतान करते है। इसमें वह अपने स्तर पर जांच नहीं करते, क्योंकि इसमें एक तरह से इसे देने वाला बैंक गारण्टी देता है कि डिफॉल्ट होने पर वह भुगतान करेगा। इसलिए आरबीआई ने एलओयू और लैटर ऑफ कंफर्ट जारी करने पर रोक लगा दी है जबकि लैटर ऑफ क्रेडिट जारी किये जायेंगे।

प्रमुख आंकड़े

मुख्य आर्थिक संकेतक

तालिका 7.9: जीडीपी व जीवीए वृद्धि दर

वित्तीय वर्ष	जीडीपी वृद्धि दर (2011-12 कीमतों पर)	जीवीए वृद्धि दर (2011-12 कीमतों पर)
2014-15	7.5	7.2
2015-16	8.0	7.9
2016-17*	7.1	6.6
2017-18रु	6.5	6.1

स्त्रोतः आर्थिक समीक्षा 2017-18, * अनन्तिम आंकड़े रु प्रथम अनन्तिम आंकड़े

तालिका 7.10: बचत दर व पूंजी निर्माण दर (जीडीपी के % के रूप में)

वित्तीय वर्ष	बचत दर	पूंजी निर्माण दर
2011-12	34.6	39.6
2012-13	33.9	38.7
2013-14	32.1	33.8
2014-15	33.1	34.4
2015-16	32.3	33.3

तालिका 7.11: प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (रुपये में)

वित्तीय वर्ष	प्रतिव्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (वर्तमान मूल्य पर)
2014-15	86,454
2015-16	94,130
2016-17	1,03,219
2017-18	1,11,782

तालिका 7.12: खाद्यान्न उत्पादन (मिलियन टन में)

वित्तीय वर्ष	खाद्यान्न उत्पादन
2014-15	252.0
2015-16	251.6
2016-17	275.7
2017-18	134.7 (केवल खरीफ फसलों का उत्पादन है)

तालिका 7.13: विदेशी मुद्रा भण्डार (बिलियन अमरीकी डालर में)

वित्तीय वर्ष	विदेशी मुद्रा भण्डार (बिलियन अमरीकी डालर)
2014-15	341.6
2015-16	360.2
2016-17	370.0
2017-18*	409.4

*अप्रैल - दिसम्बर, 2017

तालिका 7.14: प्रमुख घाटो की स्थिति (जीडीपी के % के रूप में)

वित्तीय वर्ष	राजस्व घाटा	सकल राजकोषीय घाटा	प्राथमिकघाटा
2014-15	2.9	4.1	0.9
2015-16	2.5	3.9	0. 7
2016-1	2.1	3.5	0.4
2017-18*	1.9	3.2	0.1

*बजट अनुमान

तालिका 7.15: भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्रवार प्रदर्शन (वृद्धि दर % में)

क्षेत्र व उपक्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18*
1. प्राथमिक क्षेत्र/कृषि	-0.2	0.7	4.9	2.1
• कृषि, वानिकी व मत्स्यपालन	-0.2	0.7	4.9	2.1
2. द्वितीयक क्षेत्र/उद्योग	**7.5**	**8.8**	**5.6**	**4.4**
• खनन तथा उत्खनन	11.7	10.5	1.8	2.9
• विनिर्माण	8.3	10.8	7.9	4.6
• विद्युत गैस एवं जलापूर्ति	7.1	5.0	7.2	7.5
• निर्माण	4.7	5.0	1.7	3.6
3. तृतीय क्षेत्र/सेवाएं	**9.7**	**9.7**	**7.7**	**8.3**
• व्यापार, होटल, परिवहन, भण्डारण, संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएं	9.0	10.5	7.8	8.7
• वित्तीय, रिअल स्टेट एवं पेशेवर सेवाएं	11.1	10.8	5.3	7.3
• लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं	8.1	6.9	11.3	9.4
• **बाजार मूल्य पर जीडीपी**	**7.5**	**8.0**	**7.1**	**6.5**

(viii) शीर्ष निजी अंतरण (Private Remittance) प्राप्तियों वाले देश:

1. भारत, 2. चीन, 3. फिलिपीन्स, 4. मैक्सिको, 5. पाकिस्तान, 6. नाइजीरिया, 7. मिश्र, 8. बांग्लादेश, 9. वियतनाम, 10. ग्वाटेमाला

(xi) भारत के निर्यात की शीर्ष मदें:

1. इंजीनियरी संबंधी वस्तुए
2. रत्न और आभूषण
3. रासायनिक और संबंधित उत्पाद
4. कपड़ा व संबंधित उत्पाद
5. पेट्रोलियम अपशिष्ट उत्पाद
6. कृषि और संबद्ध उत्पाद
7. इलेक्ट्रानिक वस्तुएं
8. समुद्री उत्पाद
9. अयस्क और खनिज
10. चर्म और चर्म उत्पाद

(x) भारत के आयात की शीर्ष मदें:

1. पेट्रोलियम तेल और स्नेहक पदार्थ
2. पूंजीगत वस्तुएं
3. रत्न और आभूषण (सोना, चॉदी, मोती कीमती पत्थर)
4. रासायनिक और संबंधित उत्पाद (जैव रसायन और उर्वरक)
5. इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं
6. कृषि और सम्बद्ध उत्पाद
7. अयस्क और खनिज (कोयला, कोक और संपीडित खंड)

तालिका 7.16: आर कोर उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि (%) में

क्षेत्र	भारांश	2015-16	2016-17	2017-18 अप्रैल-नवम्बर
रिफाइनरी उत्पाद	28.0	4.9	4.9	3.6
बिजली	19.9	5.7	5.8	4.9
इस्पात	17.9	−1.3	10.7	7.2
कोयला	10.3	4.8	3.2	1.5
कच्चा तेल	9.0	−1.4	-2.5	-0.2
प्राकृतिक गैस	6.9	-4.7	-1.0	4.4
सीमेन्ट	5.4	4.6	-1.2	0.6
उर्वरक	2.6	7.0	0.2	-1.1
समग्र सूचकांक	100	3.0	4.8	3.9

स्रोत: औद्योगिक नीति और संवंधन विभाग।

तालिका 7.17: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (बिलियन अमेरिकी डालर में)

वित्तीय वर्ष	प्राप्त एफ.डी.आई.
2015-16	55.56
2016-17	60.08
2017-18 (अप्रैल से सितम्बर)	33.75

नोट: वर्ष 2016 में घोषित FDI Policy में सुधार की प्रक्रिया को अपनाते हुए छोटी सी ऋणात्मक सूची को छोड़कर अर्थात सीमित क्षेत्र जहाँ FDI का प्रवेश वर्जित है। शेष सभी क्षेत्रों में FDI को स्वचालित मार्ग से प्रवेश करने की प्रक्रिया अपनायी जा रही है।

केन्द्रीय बजट एवं रेल बजट 2018-19: एक विश्लेषण (An Analysis: Center and Railway Budget–2018-2019)

केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने 1 फरवरी, 2018 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के न्यू इंडिया बजट पेश किया। यह एनडीए सरकार का अगले आम चुनाव से पहले अंतिम पूर्ण बजट था। बजट से पूर्व पेश आर्थिक सर्वे में प्रमुख रूप से पांच मुद्दे उभर कर आये थे। इन मुद्दों में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास को बनाये रखना अहम थे।

बजट 2018-19 के प्रमुख अभिलक्षण

- बिटक्वाइन सहित सभी आभासी मुद्राए गैर कानूनी है तथा सरकार इनके इस्तेमाल पर रोक लगाएगी।
- 10 करोड़ गरीब परिवारों को (लगभग 50 करोड़ लोग) 5 लाख रूपये का वार्षिक बीमा की सुविधा मिलेगी। यह विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना है।
- एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रूपये से ज्यादा का वित्तीय लेन-देन करने वाले प्रतिष्ठानों के लिए पैन अनिवार्य किया गया है।
- 10 प्रमुख स्थलों को प्रतीक पर्यटन गंतव्यों के रूप में विकसित किया जायेगा।
- नीति आयोग 'आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस' पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करेगा।
- पीली धातु (Gold) को एक 'परिसपत्ति श्रेणी' के रूप में विकसित करने के लिए 'व्यापक स्वर्ण नीति' बनाने की तैयारी।
- टीबी रोगियों को प्रतिमाह 500 रूपये देने का इंतजाम किया है जिसके लिये बजट में 600 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। सरकार ने 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है।
- केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (central Board of Ezcise & Custom Duty) का नाम बदलकर 'अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड' किया जाएगा।
- वर्ष 2018-19 के बजट में 80 हजार करोड़ रूपये विनिवेश के माध्यम से सरकार जुटाने का लक्ष्य ले कर चल रही है।
- आयकर की पुरानी कर निर्धारण प्रक्रिया को बदलकर देश भर में ई-निर्धारण प्रणाली को लागू किया जायेगा।

- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल के मासिक वेतन में वृद्धि

	पूर्व	वर्तमान
राष्ट्रपति	1.50 लाख	5 लाख
उपराष्ट्रपति	1.25 लाख	4 लाख
राज्यपाल	1.10 लाख	3.50 लाख

- हर 5 साल में महंगाई के हिसाब से सांसदों की सैलरी बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री ने मेकेनिज्म बनाने का एलान किया जिससे आटोमैटिक सैलरी बढ़ेगी।

केन्द्र सरकार के राजस्व की स्थिति

- केन्द्र सरकार को सर्वाधिक राजस्व प्रदान करने वाले करो का क्रम है: **1. जीएसटी 2. निगम कर 3. आयकर 4. सीमा शुल्क**
- **अप्रत्यक्ष करो से प्राप्त आय का क्रम है:** 1. जीएसटी 2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं 3. सीमा शुल्क
- **प्रत्यक्ष करो से प्राप्त आय का क्रम है:** 1. निगम कर 2. आयकर
- वर्ष 2016-17 के बजट में 'धन कर' (Wealth Tax) को समाप्त किया गया।
- 1 जुलाई 2017 से सम्पूर्ण भारत में GST लगने से सेवा कर व अन्य प्रमुख अप्रत्यक्ष कर समाप्त कर दिये गये।
- सकल कर राजस्व–राज्यों का हिस्सा = निवल कर राजस्व

तालिका 7.18: सब्सिडी पर व्ययः एक दृष्टि में (करोड़ रुपये में)

सब्सिडी व्यय	2016.17	2017.18*	2017.18 रु	2018.19*
खाद्य (Food)	110173	145339	140282	169323
उर्वरक (Fertiliser)	66313	70000	64974	70080
पेट्रोलियम (Petroleum)	27539	25000	24460	24933
कुल सब्सिडी व्यय	204025	240339	229716	264336

स्रोत: बजट 2018.19 * बजट अनुमान, रु संशोधित अनुमान [*Budget Estimates, Revised Estimates]

महत्वपूर्ण तथ्य:सब्सिडी व्यय भारत सरकार का तीसरा सर्वप्रमुख व्यय है। भारत सरकार सर्वाधिक सब्सिडी 1. खाद्य 2. उर्वरक 3. पेट्रोलियम पर देती है।

बजट 2018.19रु रुपया आने व जाने की प्रमुख मदें:

तालिका 7.19: सब्सिडी पर व्ययः एक दृष्टि में (करोड़ रुपये में)

रुपया कहाँ से आता है

मद	पैसे में
1. वस्तु एवं सेवा कर	23
2. निगम कर	19
3. उधार औरअन्य देयतायें	19
4. आयकर	16
5. कर भिन्न राजय	8
6. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	8
7. सीमा शुल्क	4
8. ऋण भिन्न पूँजी प्राप्तियाँ	3

रुपया कहाँ जाता है

मद	पैसे में
1. करा और शुल्कों में राज्य का हिस्सा	24
2. ब्याज की अदायगी	18
3. केन्द्रीय क्षेत्र की योजना/आयोजना	10
4. रक्षा	9
5. आर्थिक सहायता	9
6. केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ	9
7. वित्त आयोग और अनय अंतरण	8
8. अन्य व्यय	8
9. पेंशन	5

कृषि क्षेत्र

धनराशि का बजट आवंटन — **कार्य योजना**

- **11 लाख करोड़ रूपये:** यह राशि किसानों को संस्थागत ऋण (Institutional Debt) उपलब्ध कराने हेतु आवंटित किया गया है।

  नोट: पूर्व के वित्तीय वर्षों में संस्थागत ऋण हेतु किया गया बजटीय धन आवंटन।

वित्तीय वर्ष	धन आंवटन धनराशि (लाख करोड़ में)
2014-15	8.5
2015-16	9.0
2016-17	9.5
2017-18	10.0
2018-19	11.0

  उद्देश्य: कृषकों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराकर ऋणग्रस्तता के चंगुल से बाहर करना। आय व उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि आगतों की उपलब्ध्ता सुनिश्चित करना।

- **10 हजार करोड़ रूपये:** यह राशि **मत्स्य क्रान्ति अवसंरचना विकास कोष** तथा पशुपालन के लिए **आधारभूत सुविधा कोष** स्थापित करने के लिए आवंटित की गयी है।

  उद्देश्य: कृषि के साथ-साथ संबंध क्रियाओं से आय के अच्छे विकल्प सुनिश्चित कराने हेतु वित्त की कमी को पूरा करना।

- **5750 करोड़ रूपये:** वर्ष 2018.19 के लिए **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम** (NRLM) हेतु आवंटित किया गया।

  उद्देश्य: जून 2011 में इस कार्यक्रम का प्रारम्भ ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्यधारा से जोड़ना और विभिन्न कार्यक्रमो के जरिये उनकी गरीबी दूर करना है।

- **2600 करोड़ रूपये:** यह राशि **'कृषि सिंचाई योजना'** के लिए आवंटित की गयी है।

  उद्देश्य: वित्तीय वर्ष 2015.16 में प्रारम्भ की गयी इस योजना का मुख्य उद्देश्य **हर खेत को पानी** तथा **प्रति बूंद अधिक फसल है** ताकि जल उत्पादकता को बढ़ाया जा सके।

- **1290 करोड़ रूपये:** यह राशि 'राष्ट्रीय बॉस मिशन को पुनर्गठित करने हेतु दी गयी है।

  उद्देश्य: बॉस एक प्रकार की घास है परन्तु यह पेड़ की श्रेणी में रखे जान के कारण उसे काटने या परिवहन के लिये मंजूरी की आवश्यकता होती थी जिससे मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी राज्यों के किसानों एवं आदिवासियों को नुकसान होता था। इसलिए National bamboo Mission का पुनर्गठित किया जा रहा है ताकि किसानों की आय के स्रोत को बढ़ाया जा सके।

- **2000 करोड़ रूपये:** यह राशि 22 हजार ग्रामीण हॉट बाजारों तथा 585 Agriculture Product Market Committee-APMC में कृषि विपणन अवसंरचना के विकास हेतु एक कृषि बाजार अवसंरचना कोष की स्थापना के लिए आवंटित की गयी है।

  उद्देश्य: किसानों को विकसित ग्रामीण बाजारो से जोड़ना है।

- **500 करोड़ रूपये:** यह राशि **'ऑपरेशन ग्रीन'** के लिए आवंटित की गयी है।

  उद्देश्य: इस आपरेशन ग्रीन के तहत आलू, प्याज, टमाटर जैसे उत्पादों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए प्रारम्भ किया गया है।

महत्वपूर्ण निर्देशः

- वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को दोहराया गया। आगामी खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य डेढ़ गुना करने का फैसला लिया गया।
- किसान क्रेडिट कॉड की सुविधा मत्स्य व पशु पालन के लिए भी दी गयी।
- 42 मेगा फूड पार्क बनाये जाने का एलान।
- 100 अरब डॉलर के स्तर पर कृषि उत्पादों का निर्यात पहुंचाने का लक्ष्य।

तालिका 7.20: टैक्स नीतिः बजट 2018-19

प्रावधन	पूर्व स्थिति	सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य
• 12 महीने के बाद शेयर बेचने पर यदि 1 लाख रूपये या उससे ज्यादा पूँजीगत लाभ होता है तो उस पर 10% की दर से **Long Term Capital Gain TAX** देय होगा।	अगर शेयर्स खरीदने और बेचने के साथ Security transaction tax (STT) दिया गया है और उन शेयरों की होल्डिंग सीमा 12 महीने से ज्यादा है तो Long term capital gain tax देय नहीं था।	सरकार ने बजट 2018-19 में section10 (38) के तहत मिलने वाली long term capital gain की छूट को समाप्त किया है।
• 4% का स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर (cess) आयकर व निगर कर देय होगा	3% का शिक्षा उपकर देय था जिससे 2% प्राइमरी व 1% हायर एजूकेशन देय थां।	सेस पर 1% की वृद्धि।
• नौकरपेशा वर्ग को 40 हजार रूपये का स्टैण्डर्ड डिडक्शन दिया जायेगा। (मानक कटौती उस राशि को कहा जाता है जिसे वेतन से हुई कुल आय में से घटाने के बाद कर योग्य आय की गणना की जाती है।)	पूर्व में 15000 रूपये का मेडिकल रिइंबर्समेंट (चिकित्सा प्रति पूर्ति) व 19200 ट्रान्सपोर्ट एलाउन्स पर टैक्स छूट मिलती थी।	सरकार ने Income Tax act 1961 की धारा 16 के तहत स्टैण्डर्ड डिडक्शन की संकल्पना लायी है जिसे वर्ष 2006-07 की तात्कालिक केन्द्र सरकार ने 30 हजार के मानक कटौती को समाप्त किया था इस प्रकार सरकार ने 34200 रूपये (15 हजार व 19200) की कर छूट सीमा समाप्त कर 40 हजार की कर छूट सीमा देकर नौकरीपेश करदाताओं को मात्र 5800 रूपये कर लाभ दिया है।
* 25% का निगम कर, वार्षिक 250 करोड के टर्न ओवर वाली पंजीकृत कम्पनियों को देना होगा।	वर्ष 2015-16 में 50 करोड़ के वार्षिक टर्न ओवर वाली कम्पनी पर 25% निगम कर देय था।	वर्तमान में 99 प्रतिशत से अधिक लघु व मध्ययम वर्ग के उद्यमियों को इस फै सले से राहत मिलेगी।

नोट: इनकम टैक्स स्लैब पूर्व की भांति बनी हुई है।

तालिका 7.21: बढ़ाई गई वस्तुएं—सरकार द्वारा आयातित वस्तुओं पर लगने वाले सीमा शुल्क

वस्तु	पूर्व सीमा शुल्क (% में)	वर्तमान सीमा शुल्क (% में)
मोबाइल फोन	15	20
स्मार्ट वाच	10	20
मोबाइल फोन एक्सेसरीज	7.5-10	15
एलसीडी/एलईडी	7.5	15
फ्रूट जूस	30	50
सिल्क फेब्रिक	10	20

महत्त्वपूर्ण तथ्यः उक्त वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाने का उद्देश्य घरेलू उत्पादान को बढ़ावा देना है।

तालिका 7.22: रक्षा बजट

*वर्ष	व्यय	जीडीपी का प्रतिशत
2013-14	2.03 लाख करोड़	1.79
2014-15	2.29 लाख करोड़	1.78
2015-16	2.46 लाख करोड़	1.74
2016-17	2.58 लाख करोड़	1.72
2017-18	2.74 लाख करोड़	1.62
2018-19	2.95 लाख करोड़	1.57

नोट: जीडीपी के प्रतिशत के आधार पर रक्षा बजट में कमी आयी।

* 2.95 लाख करोड़ के रक्षा बजट में 99,563 करोड़ रूपये सेना के आधुनिकीकरण में जब कि 1,08,853 करोड़ रूपये डिफेन्स पेंशन पर व्यय किया जायेा।

* सीमावर्ती इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सेला पास में टनल बनाने का प्रस्ताव किया गया है। काफी ऊंचाई पर स्थित सेला पास अरूणाचल प्रदेश में है। चीन से सामरिक तनाव के बीच यह फैसला अहम है।

Public Sector Performance Report, 2016-17

तिथि: 13 मार्च 2018 में संसद में।

जारीकर्ता: भारी उद्योग व सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises)

रिपोर्ट का शीर्षक: पब्लिक इंटरप्राइजेज सर्वे 2016-17

महत्वपूर्ण तथ्य:

CPSE की: 331 (257 कार्यशील 74 उपक्रम निर्माणाधीन)

कुल संख्या नोट: वर्ष 2015-16 की रिपोर्ट में CPSE की कुल संख्या 320 (244 कार्यशील, 76 उपक्रम निर्माणाधीन) थी।

रोजगार: 11.30 लाख कर्मचारी (2015-16 में 11.85 लाख कर्मचारी)

लाभ में रहने वाले $CPSE_s$ की संख्या: 174 उपक्रम लाभ की स्थिति में रहे।

लाभ में रहने वाले शीष 5 $CPSE_s$ (2016-17):

$CPSE_s$ का नाम	शुद्ध लाभ (करोड़ रूपये में)
1. Indian Oil	19106
2. ONGC	17900
3. Coal India	14501
4. NTPC	9385
5. Bhatar Petrolium	8039

हानि में रहने वाले शीष 5 $CPSE_s$ (2016-17):

$CPSE_s$ का नाम	घाटा (करोड़ रूपये में)
1. BSNL	4793
2. Air India	3952
3. Coal India	2941
4. Hindustan Photo Film	2917
5. SAIL	2833

कच्चा इस्पात उत्पादनः वैश्विक स्थिति

तिथि: 24 जनवरी 2018

जारीकर्ता: विश्व इस्पात संघ (WSA) द्वारा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में

शीर्ष कच्चा इस्पात (स्टील) उत्पादक देश 2017: 1. चीन (49.2 प्रतिशत), 2. जापान (6.2 प्रतिशत), 3. भारत (6.0 प्रतिशत), 4. यूएसए (4.8 प्रतिशत) 5. द. कोरिया (4.2 प्रतिशत), 6. रूस (4.2 प्रतिशत), 7. तुर्की (2.2 प्रतिशत)।